

तत्काल/गएलपयु०

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-शासनादेश पृष्ठांकन-100/2018-19/ 5309 | वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
(स्थापना-अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक ०५ जनवरी, 2019
परम

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:-तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली,2001 में
विनियमितीकरण हेतु निर्धारित कट-आफ-डेट दिनांक 30-06-1998 के पश्चात
की गयी तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासन ने अपने पत्र संख्या-57/2019/4सीक्यू/का-1-2019
दिनांक 19 जनवरी, 2019 द्वारा विभाग में तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (संशोधन)
नियमावली-2001 में विनियमितीकरण हेतु निर्धारित कट-आफ-डेट दिनांक 30-06-1998 के पश्चात
यदि तदर्थ रूप से कोई नियुक्ति की गयी है, तो ऐसे कार्मिकों के सम्बन्ध में समेकित सूचना
उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया अपने जोन के अन्तर्गत विभाग में दिनांक
30-06-98 के पश्चात यदि तदर्थ रूप से कोई नियुक्ति की गयी है तो ऐसे कार्मिकों के संबंध में
अपने जोन की संकलित सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि
तदनुसार विभाग की समेकित सूचना शासन को प्रेषित की जा सके। यदि दिनांक 30-06-2008 के
पश्चात आपके जोन अन्तर्गत तदर्थ रूप से किसी कार्मिक की नियुक्ति की गई है, तो ऐसी की गई
नियुक्तियों के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गयी अथवा की जा रही कार्यवाही की सूचना
भी मुख्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्ता।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट
पर अपलोड कराने हेतु।
2. पटल प्रभारी-स्था-5क/5ग/3क/3ख को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त वांछित सूचना तत्काल
उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्री राज

Q-6 (L.T.)

05/02/2019

3946

Law
1998
1998